

FORM NO -III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

A3  
1

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी  
मोहम्मद आरीफ पुत्र अब्दुल सतार तहसीलदार, नागौर  
जाति कायमखानी मुसलमान  
निवासी कुम्हारी दरवाजा रोड़, नागौर  
तहसील व जिला नागौर, राज.

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना संख्या .....36..... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.11.19	वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 21/12/19 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
9.12.19	वकील अर्थात् उपरो। अप्रार्थी तहसीलदार नागौर का नोटिस बाद तारीख शा.प्रि.ई। पत्रावली पूरा अपील के साथ दिनांक 19.12.19 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
19/12/19	वकील उपरो। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 30/12/19 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
30.12.19	वकील अर्थात् की ओर से वकील श्री मुकेश शम्भु ने उपरो पत्र पेश किया, जो मूल अपील से शा.प्रि.ई। अर्थात् की ओर से राजपरोक्षर उपरो पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 9.1.20 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
9.1.20	वकील वफुलाय उपरो। हलगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर अर्थात् द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र रद्द किया जाता है। (दिनेश कुमार शर्मा) कलक्टर, नागौर	

